(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर0के0 मिश्रा**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2744–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–8–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 105/अपील/2015–16.

.....

श्रीमती इन्द्रवती पाण्डेय पत्नी रामकुमार पाण्डेय
निवासी ग्राम बहेरा, नानकार पो0आ0 देवरी संगरान थाना
व तहसील नईगढी जिला रीवा म0प्र0

------आवेदक

विरूद्ध

1. बृजेश पाण्डेय तनय लवकुश पाण्डेय
2. बबली पाण्डेय तनय लवकुश पाण्डेय
3. दीपक उर्फ राजे पाण्डेय तनय लवकुश पाण्डेय
4. रामायण पाण्डेय तनय लवकुश पाण्डेय
5. घनश्याम पाण्डेय तनय लवकुश पाण्डेय
6. मुस0 कलावती पाण्डेय विधवा पत्नी लवकुश पाण्डेय

समस्त निवासीगण ग्राम बहेरा, नानकार थाना
व तहसील नईगढी जिला रीवा म0प्र0

------अनावेदकगण

.....

श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत के आदेश दिनांक 01–8–2016 अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक की ओर से एक आवेदन पत्र आराजी किता 6 रकवा 0.77 के नामांतरण रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर किये जाने वावस तहसीलदार नईगढ़ी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसपर तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 35/अ–6/13–14 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 08–7–14 से नामांतरण

किया। अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26–10–15 से अपील स्वीकार की तथा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 01–8–2016 से खारिज की गई अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के सहभूमिस्वामी थे ऐसी स्थिति में नामांतरण प्रकरण में अनावेदकगण को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, परन्तु आवेदिका द्वारा अनावेदकगण को सहभूमिस्वामी होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया है। मात्र वसीयतकर्ता रामकली को पक्षकार बनाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। वसीयत के साक्षियों का प्रति परीक्षण भी नहीं किया गया है। वसीयत के आधार पर नामांतरण के पूर्व वसीयत के साक्षियों का विधिवत प्रतिपरीक्षण किया जाना आवश्यक है। वसीयत में अंकित वादग्रस्त भूमि ग्राम आंवी मुरली के खसरे में वसीयकर्ता का कुछ भूमियों मेंनाम दर्ज नहीं है। इन्हीं आधारों पर विचार कर अनुविभागीय अधिकारी निष्कर्ष निकालते हुये विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी अपने आदेश से की गई है। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 01–8–2016 स्थिर रखा जाता है।

14/8/18

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर